बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

निदेशक, भू–अर्जन, बिहार की अध्यक्षता में एस0एस0बी0 की विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों एवं एस0एस0बी0 के पदाधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक दिनांक–08.03.2017 की कार्यवाही।

1. उपस्थितिः–पंजी के अनुसार।
2. बैठक को निदेशक, भू–अर्जन निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संबोधित किया गया। उपस्थित सभी पदाधिकारियों को एस0एस0बी0 एवं इंडो–नेपाल से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं हेतु भू–अर्जन/अधिग्रहण कार्य की महत्ता को रेखांकित करते हुए निर्धारित समय–सीमा के भीतर निष्पादित करने का निदेश दिया गया।
3. निदेशक, भू–अर्जन, बिहार द्वारा बैठक में उपस्थित जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना एवं एस0एस0बी0 के संबंधित पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि पटना जिलान्तर्गत एस0एस0बी0 के क्षेत्रीय मुख्यालय की स्थापना हेतु पटना जिला के ग्रामीण क्षेत्रों यथा–गौरीचक, खुसरूपुर, बख्तियारपुर या मसौढ़ी में स्थल निरिक्षण कर 2–3 स्थलों का चयन कर प्रस्ताव समाहर्ता, पटना को उपलब्ध करावें, ताकि भूमि के चयन के संबंध में अंतिम निर्णय एस0एस0बी0 एवं जिला प्रशासन, पटना द्वारा संयुक्त रूप से लिया जा सके तथा भू–अर्जन की कार्रवाई जल्द प्रारम्भ किया जा सके।
4. मधुबनी जिलान्तर्गत राजनगर बटालियन के अन्तर्गत BOP निर्माण हेतु मौजा–लग्दी एवं अंधरामठ में अर्जनाधीन भूमि के संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा बताया गया कि प्रभावित रैयतों द्वारा मुआवजा भुगतान नहीं प्राप्त किया गया है एवं Reference Court में वाद दायर किया गया है। निदेशक, भू–अर्जन द्वारा उन्हे निदेशित किया गया कि मुआवजा की राशि को प्राधिकार के न्यायालय (Reference Court) में अविलंब जमा कराते हए दखल कब्जा की अनुमति हेतु प्राधिकार से अनुरोध किया जाय।

   मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर बटालियन के संबंध में उपस्थित एस0एस0बी0 के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मौजा–पिपरान एवं फुलहर में भूमि अर्जन से संबंधित अधियाचना समाहर्ता, मधुबनी को समर्पित की गई है। निदेशक भू–अर्जन द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी को दिनांक–20.03.2017 तक आपात प्रक्रिया के अंतर्गत भू–अर्जन हेतु सरकार की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।
5. सुपौल जिलान्तर्गत एस0एस0बी0 के परियोजना हेतु मौजा–कटैया में भूमि हस्तानांतरण के संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित प्रशाखा को वांछित कार्रवाई के संबंध में निदेशित किया गया। टेहरी बाजार में 1.00 एकड़ सरकारी भूमि के हस्तानांतरण के संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सुपौल को जिला स्तर पर समन्वय स्थापित करते हुए भूमि हस्तानांतरण से संबंधित अभिलेख/प्रस्ताव उचित माध्यम से विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

BOP कनौली के लिए अर्जित भूमि का दखल–कब्जा दिलवाने के लिए दिनांक–15.03.2017 की तिथि निर्धारित की गई एवं बैठक में उपस्थित जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सुपौल एवं एस0एस0बी0 के पदाधिकारी को उक्त तिथि तक कार्य निश्चित रूप से संपादित करने का निदेश दिया गया। मौजा–राजपुर–डगमारा एवं वीरपुर में एस0एस0बी0 के लिए अर्जनाधीन भूमि के संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सुपौल द्वारा बताया गया की एस0एस0बी0 द्वारा बकाया राशि नहीं दिये जाने के कारण कार्रवाई लंबित है। एतदर्थ एस0एस0बी0 के पदाधिकारी को राशि जल्द उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। मौजा–आसनकुपहा में अर्जनाधीन भूमि के लिए 5.00 करोड़ रूपये उपलब्ध कराने हेतु जिला सब रजिस्टार से Non-Encumbarance Certificate (अवभार मुक्त प्रमाण पत्र) जल्द प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

6. अररिया जिलान्तर्गत 18वीं बटालियन मुख्यालय के निर्माण हेतु नये सिरे से स्थल चयन किये जाने के संबंध में बैठक में उपस्थित जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, अररिया एवं एस0एस0बी0 के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वैकल्पित स्थल का चयन कर लिया गया है एवं भू–अर्जन की कार्रवाई यथाशीघ्र प्रारंभ कर दी जायगी।

09 (नौ) नये BOP के निर्माण के संबंध में बैठक में उपस्थित एस0एस0बी0 के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अधियाचना एवं राशि जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, अररिया को उपलब्ध करा दी गई है। इस संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, अररिया द्वारा बताया गया की अधियाचना की जांच कराई जा रही है एवं मुख्यालय स्तर से आपात प्रक्रिया में भू–अर्जन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव मार्च 2017 के अंत तक भेज दिया जायेगा।

अररिया जिलान्तर्गत 56वीं बटालियन के BOP कैम्प निर्माण हेतु बैठक में उपस्थित एस0एस0बी0 के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया की 07 (सात) BOP के निर्माण हेतु पुराने अधिनियम, 1874 के अंतर्गत अधियाचना दायर की गई थी परंतु भू–अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी। इस संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, अररिया को एक सुस्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। 09 (नौ) BOP के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि के अर्जन के लिए नये भू–अर्जन अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रक्रिया प्रारंभ करने का निदेश जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, अररिया को दिया गया।

अररिया जिलान्तर्गत 45वीं बटालियन के अंतर्गत 04 (चार) BOP कैम्प के निर्माण हेतु पुराने अधिनियम 1894 के अंतर्गत प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। इस संबंध में भी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, अररिया को एक सुस्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

7. किशनगंज जिलान्तर्गत 12वीं बटालियन के निर्माण हेतु मौजा–फुलवारी में अर्जनाधीन भूमि के संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत भू–अर्जन की प्रक्रिया आर0एस0 खतियान के आधार पर प्रारंभ की गई थी परंतु भू–अर्जन से प्रभावित राजस्व ग्रामों में चकबंदी की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। उन्हें यह बताया गया कि विभागीय निदेश के अनुसार जिन राजस्व ग्रामों में धारा–26 (क) के तहत चकबंदी की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है, वहाँ राजस्व संबंधी सभी कार्य चक खतियान के आधार पर किया जाना अपेक्षित है।

इस बटालियन के अंतर्गत 02 (दो) BOP हेतु सरकारी भूमि के हस्तांतरण के लिए एस0एस0बी0 के पदाधिकारी को बताया गया कि भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव समाहर्ता स्तर से विभाग को उपलब्ध कराया जाय ताकि अग्रेत्तर कार्रवाई यथाशीघ्र की जा सके।

किशनगंज जिलान्तर्गत 19वीं बटालियन हेतु मौजा–ठाकुरगंज एवं कमुदवस्ती में BOP के लिए भूमि अर्जन के संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा बताया गया कि अधिसूचना का प्रकाशन प्रक्रियाधीन है। उक्त के आलोक में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज को अधिसूचना प्रकाशन के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई नियमानुसार करने का निदेश दिया गया।

8. पूर्णियां जिलान्तर्गत एस0एस0बी0 के DIG Office एवं अस्पताल के निर्माण हेतु 37.00 एकड़ भूमि अर्जन के संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पूर्णियां के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत भू–अर्जन से संबंधित भूमि के पंचाट घोषणा 2015 में किया गया परंतु मात्र 3 रैयती द्वारा ही मुआवजा की राशि प्राप्त की गई है। इस संबंध में उन्हे शेष राशि को प्राधिकार के न्यायालय (Reference Court) में जमा करने का निदेश दिया गया।

9. प0चम्पारण जिलान्तर्गत सेक्टर मुख्यालय एवं बटालियन मुख्यालय के निर्माण हेतु बेतिया राज के भूमि के अर्जन के संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, प0चम्पारण द्वारा बताया गया कि अधिसूचना एवं अधिघोषणा की कार्रवाई की जा चूकी है तथा दर निर्धारण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इस संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, प0चम्पारण को दर निर्धारण की कार्रवाई मार्च 2017 के अन्त तक पूर्ण करते हुए पंचाट घोषणा हेतु अग्रेतर कार्रवाई यथाशीध्र करने का निदेश दिया गया।

मौजा–चकदेवा एवं रामपुर में BOP के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि के अर्जन के संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, प0चम्पारण को निदेशित किया गया कि नये अधिनियम की धारा–40 के अन्तर्गत आपात प्रक्रिया में भूमि अर्जन की स्वीकृति हेतु विभाग को प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय ताकि सरकार द्वारा यथाशीघ्र स्वीकृति दी जा सके।

प0चम्पारण जिलान्तर्गत 44वीं बटालियन के अंतर्गत 05 (पांच) BOP के निर्माण के संबंध में एस0एस0बी0 से संबंधित पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अधियाचना समर्पित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित भू–अर्जन की अनुमानित लागत से संबंधित प्रतिवेदन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, प0चम्पारण द्वारा उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, प0 चम्पारण को अनुमानित लागत से संबंधित प्रतिवेदन एस0एस0बी0 के संबंधित पदाधिकारी को 15 दिनो के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

10. पू0चम्पारण जिलान्तर्गत 45वीं बटालियन हेडक्वाटर निर्माण के लिए अर्जनाधीन भूमि के मुआवजा भुगतान के संबंध में बैठक में उपस्थित जिला भू–अर्जन कार्यालय, पू0चम्पारण के प्रधान सहायक द्वारा बताया गया कि स्वामित्व विवाद (Title dispute) के कारण मुआवजा भुगतान की कार्रवाई लंबित है। उन्हे इस संबंध में नियमानुकूल कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। BOP के निर्माण हेतु मौजा–मुशहरवा एवं हरपुर के लिए प्रस्तावित भू–अर्जन के संबंध में बताया गया कि आपात प्रक्रिया के अंतर्गत भू–अर्जन हेतु अधिघोषणा एवं अधिसूचना की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। 09 (नौ) BOP के निर्माण के लिए भू–अर्जन के संबंध में बताया गया कि एस0एस0बी0 द्वारा समर्पित अधियाचना की जांच प्रक्रियाधीन है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पू0चम्पारण को अधियाचना की जांच मार्च 2017 के अन्त तक पूर्ण कर अग्रेतर कार्रवाई यथाशीघ्र करने का निदेश दिया गया।

11. सीतामढ़ी जिलान्तर्गत 20वीं बटालियन के BOP निर्माण हेतु मौजा–दुलारपुर के लिए अर्जनाधीन भूमि के संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा बताया गया कि मुआवजा भूगतान की कार्रवाई की जा रही है जिसे मार्च 2017 के अन्त तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

BOP बागमति एवं मूसाचांद के लिए अर्जनाधीन भूमि के संबंध में एस0एस0बी0 के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दखल–कब्जा लंबित है। इस संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा स्पष्ट किया गया कि प्रभावित भू–धारियों द्वारा मुआवजा राशि लेने से इनकार एवं स्थल पर विरोध के कारण दखल–कब्जा लंबित है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को उक्त राशि प्राधिकार के न्यायालय (Reference Court) में जमा करने एवं विधिसम्मत कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

सीतामढ़ी जिलान्तर्गत 51वीं बटालियन अन्तर्गत के निर्माण हेतु मौजा–भगवतीपुर में किये जा रहे भू–अर्जन के संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा बताया गया कि अधिघोषणा प्रकाशन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इस संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को अग्रेतर कार्रवाई यथाशीघ्र करने का निदेश दिया गया।

BOP के निर्माण हेतु मौजा–बलवा एवं धलकावा के लिए अतिरिक्त भूमि अर्जन के संबंध में प्रस्ताव एस0एस0बी0 द्वारा समर्पित किया जाना अपेक्षित बताया गया। इस संबंध में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा बताया गया कि पुराने अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत प्रारंभ किये गये कतिपय मामलों में 80 प्रतिशत मुआवजा राशि का भुगतान भू–धारियों को करते हुए दखल–कब्जा एस0एस0बी0 को दिया जा चुका है परंतु पंचाट घोषणा के उपरांत शेष मुआवजा राशि का भुगतान एस0एस0बी0 द्वारा बकाया राशि नहीं दिये जाने के कारण लंबित है।

12 सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि भूमि चयन करने के उपरांत भू–अर्जन की अनुमानित लागत के संबंधित प्रतिवेदन, पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

सधन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।

ह0/–
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांक–15/डी.एल.ए. एस0एस0बी0 (परियोजना)–07/2016...393/रा.पटना, दिनांक–23-03-17

प्रतिलिपि:–

1. संबंधित सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. उप महानिरीक्षक, एस.एस.बी. सीमांत मुख्यालय, तीसरा मंजिल, कर्पूरी ठाकुर सदन, आशियाना दीघा रोड, पटना–25 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. संबंधित सभी समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/पूर्णियां/कोसी/तिरहुत/दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. प्रधान सचिव, गृह विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. विकास आयुक्त, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
8. मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

23/3/17
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः—15 / डी.एल.ए. एस0एस0बी0 (परियोजना)—07 / 2016—............ पटना, दिनांक—......................

प्रतिलिपिः— माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / —
निदेशक,
भू—अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः—15 / डी.एल.ए. एस0एस0बी0 (परियोजना)—07 / 2016—393/रा पटना, दिनांक—23-03-17

प्रतिलिपिः—आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय बेवसाइट पर यथास्थान शीघ्र प्रकाशनार्थ प्रेषित।

23/3/17

निदेशक,
भू—अर्जन, बिहार।